संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

महत्वपूर्ण

क्रमांक / कोविड–19 नियंत्रण / आई.डी.एस.पी / 2020 / 1528 भोपाल, दिनांक 05 / 09 / 2020

प्रति,

1. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र।
2. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।

विषयः– कोविड–19 के नियंत्रण हेतु परीक्षाओं के संचालन संबंधी मानक परिचालन निर्देश।

संदर्भः– भारत सरकार के निर्देश **"SOP on preventive measures to be followed while conducting examination to contain spread of COVID-19".**

विषयांतर्गत लेख है कि परीक्षा केन्द्रों में बड़ी संख्या में छात्रों, अभिभावकों एवं परीक्षा के संचालन संबंधी मानव संसाधन की आवाजाही होती है जिसके लिए कोविड–19 के नियंत्रण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. **नियंत्रण हेतु सामान्य गतिविधियाँ** – कोविड–19 संक्रमण का जोखिम सरल जन स्वास्थ्य उपायों के पालन द्वारा कम किया जा सकता है। इन उपायों का पालन सर्वथा परीक्षा केन्द्रों में उपस्थित स्टाफ, छात्र एवं अभिभावकों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। यह उपाय निम्नानुसार हैः–
   i. न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी का यथासंभव पालन।
   ii. फेस कवर / मास्क का अनिवार्यतः उपयोग।
   iii. हाथ गंदे न दिखने पर भी बार–बार न्यूनतम 40–60 सेकण्ड तक साबुन–पानी से हाथों की धुलाई अथवा एल्कोहॉलयुक्त हैंड सेनिटाईजर द्वारा न्यूनतम 20 सेकण्ड तक हाथों की सफाई।
   iv. श्वसन शिष्टाचार का पालन जिसमें खांसते अथवा छींकते समय मुँह तथा नाक को टिशु / रूमाल / कोहनी से ढांकना तथा उपयोग किये हुए टिशुओं का सुरक्षित निपटान।
   v. अपने स्वास्थ्य की स्व–निगरानी तथा लक्षण उत्पन्न होने पर त्वरित प्रतिवेदन।
   vi. सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की कड़ी पाबंदी।
   vii. यथासंभव आरोग्य सेतु एप का इन्सटॉलेशन व उपयोग।

2. **विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाओं / परीक्षा संचालकों / परीक्षा केन्द्रों द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली विशिष्ट व्यवस्थायें** –

   a. **परीक्षा हेतु नियोजन** –

   i. कंटेन्मेन्ट जोन के बाहर स्थित परीक्षा केन्द्रों को ही संचालन की अनुमति होगी। कंटेन्मेन्ट जोन में निवासरत् स्टाफ / परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्रों में आने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे परीक्षार्थियों के लिए विश्वविद्यालय / शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वैकल्पिक तरीकों से अथवा पृथक से बाद में परीक्षा का आयोजन किया जाना होगा।
   ii. विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाओं / परीक्षा संचालकों / परीक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षा का नियोजन चरणबद्ध तरीकों से किया जाये ताकि किसी भी दिन अत्याधिक भीड़ जमा न हो।
   iii. परीक्षण संस्थाओं में शारीरिक दूरी के मानक निर्देशों के पालन करते हुए उपयुक्त बैठक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कक्ष हों।
   iv. विश्वविद्यालयों / शैक्षणिक संस्थाओं / परीक्षा संचालकों / परीक्षा केन्द्रों द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा साधन जैसे फेस कवर / मास्क तथा अन्य आवश्यक संसाधन जैसे हैंड सेनिटाईजर, साबुन, सोडियम हाईपोक्लोराईट सॉल्युशन आदि स्टाफ तथा आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को उपलब्ध कराई जाये।
   v. परीक्षा केन्द्रों के प्रवेश द्वार पर परीक्षा संचालकों तथा परीक्षार्थियों द्वारा अपने स्वास्थ्य के संबंध में स्व–घोषणा पत्र (Self Declaration Form) जमा किये जाये। स्व–घोषणा पत्र का प्रारूप प्रवेश पत्र (Admit Card) के साथ ही जारी किया जाये तथा सरल भाषा में क्या करें तथा क्या नहीं करें के संबंध में निर्देश भी जारी किये जाये।

xi. परीक्षा के समापन पर परीक्षार्थियों को व्यवस्थित तरीके से निर्गमन द्वार पर ले जाया जाये।

d. उच्च जोखिम व्यक्तियों के लिए विशिष्ट निर्देश –

i. कोविड–19 के उच्च जोखिम समूह (वयोवृद्ध, गर्भवती, अंतर्निहित चिकित्सीय जटिलतायुक्त कर्मचारी) को निरीक्षण अथवा परीक्षा के संचालन हेतु तैनात न किया जाये।

ii. ऐसे स्टाफ को यथासंभव ऐसे कार्य दिये जाये जिसमें छात्रों से सीधा संपर्क न हो।

e. परीक्षा केन्द्र के भीतर बैठक व्यवस्था तथा आवाजाही –

i. लिफ्ट में अधिक संख्या में व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित किया जाये एवं शारीरिक दूरी के पालन हेतु प्रतिबंधित प्रविष्टि सुनिश्चित की जाये।

ii. आवश्यकता पड़ने पर व्हील चेयर की व्यवस्था उपलब्ध रहे परन्तु इनका नियमित रूप से विसंक्रमण सुनिश्चित हो।

iii. यदि शारीरिक तौर से अक्षम किसी विद्यार्थी को लिखने हेतु सहायक की आवश्यकता हो तो, दोनो परीक्षार्थी तथा परीक्षा लेखक (Scribe) द्वारा मास्क का उपयोग किया जाये एवं पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाते हुए बिठाया जाये।

iv. संस्थाओं द्वारा कॉन्टेक्ट रहित प्रक्रिया जैसे ओ.आर कोड, ऑनलाईन फॉर्म, डिजीटल हस्ताक्षर आदि का उपयोग किया जा सकता है।

v. परीक्षा हॉल में स्वच्छ पेय जल तथा डिस्पोजेबल कप अथवा ग्लास की व्यवस्था रहे।

vi. परीक्षा हॉल में लिखित परीक्षा के पूर्व निरीक्षक द्वारा हाथों को सेनिटाईज करने के उपरान्त ही प्रश्न पत्र तथा उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जाये। परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र/उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने से पहले तथा वापस जमा करते समय हाथों को सेनिटाईज किया जाये। उत्तर पुस्तिका के पैकिंग के समय स्टाफ द्वारा बार–बार हाथों को सेनिटाईज किया जाये। यथासंभव उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रिकरण के 72 घंटे बाद खोला जाये।

vii. पुस्तिकाओं की गणना अथवा वितरण के समय थूक का उपयोग वर्जित है।

viii. परीक्षा हॉल में छात्रों द्वारा व्यक्तिगत सामान सांझा करने की अनुमति नहीं होगी।

ix. ऑनलाईन/कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के पहले एवं बाद में समस्त कम्प्यूटर सिस्टम्स का विसंक्रमण एल्कोहॉलयुक्त वाईप से सुनिश्चित किया जाये।

x. परीक्षा हॉल में उपस्थित समस्त स्टाफ/परीक्षार्थियों का विवरण संधारित किया जाये ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ एवं ट्रेसिंग के लिए उपयोग किया जा सके।

xi. एयर कंडिशनर उपयोग हेतु सी.पी.डब्ल्यू.डी. के निर्देशों का पालन किया जाये एवं तापमान 24-30^{0}C आद्रता 40–70% रखी जाये। कमरे में क्रॉस वेन्टीलेशन एवं ताजी हवा का संचरण बनी रहे।

f. सेनिटेशन एवं हाईजीन –

i. परीक्षा हॉल तथा सार्वजनिक स्थलों का सेनिटाईजेशन परीक्षा के पहले एवं बाद में सुनिश्चित की जाये विशेषकर शौचालय, पेय जल एवं हाथ धुलाई के स्टेशन/स्थलों को अच्छे तरीके से विसंक्रमित किया जाये।

ii. बार–बार छुये जाने वाले सतहों जैसे दरवाजे के हेन्डल, लिफ्ट के बटन, हैंड रेल, बेन्च, शौचालय के नल आदि की सफाई नियमित रूप से 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट का उपयोग कर सुनिश्चित किया जाये।

iii. परीक्षार्थियों तथा स्टाफ द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर/मास्क को फेकने हेतु ढक्कन वाले डस्टबिन उपलब्ध कराये जाये। इस कचरे का निपटान खतरनाक अपशिष्ट (Hazardouswaste) प्रबंधन मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाये।

vi. छात्रों को परीक्षा केन्द्र में लाने हेतु आवश्यक चीजों की पूर्व सूचना दें जैसे परीक्षा संबंधी दस्तावेज (प्रवेश पत्र, पहचान पत्र आदि) फेस मास्क, पानी की बोतल, हैंड सेनिटाईजर आदि।
vii. परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान अनुशासन बनाये रखने तथा शारीरिक दूरी व नियंत्रण संबंधी समस्त गतिविधियों के पालन हेतु पर्याप्त मानव संसाधन तैनात किये जाये।
viii. दस्तावेज प्रमाणीकरण तथा छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु पर्याप्त रजिस्ट्रेशन कक्षों का चिन्हांकन किया जाये एवं सामाजिक दूरी के मानकों का पालन किया जाये।
ix. परीक्षा निरीक्षकों तथा समस्त पर्यवेक्षक स्टाफ को कोविड–19 के परिपेक्ष्य में आचार संहिता (Code of Conduct) के बारे में उन्मुख किया जाये।
x. परीक्षा केन्द्रों के बाहर एवं अंदर कोविड–19 के रोकथाम हेतु आवश्यक गतिविधियों के संबंध में पोस्टर/स्टैन्डी/ऑडियो विजुअल संचार माध्यम से सूचना का प्रसार किया जाये।
xi. प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में पृथक "आईसोलेशन कक्ष" चिन्हांकित हो ताकि स्क्रीनिंग के दौरान लक्षण युक्त छात्रों को एकांत में रख कर चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया जा सके। परीक्षा संचालकों द्वारा लक्षण युक्त छात्रों के परीक्षा के आयोजन के संबंध में स्पष्ट नीति पूर्व से ही अवगत कराया जाये।

b. **<u>परीक्षा केन्द्रों में आने–जाने हेतु परिवहन</u>** – यदि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा परीक्षा केन्द्रों में आने–जाने हेतु परिवहन व्यवस्था की जा रही हो तो, बस/अन्य परिवहन वाहन का उपयुक्त सेनिटाईजेशन सुनिश्चित किया जाये।

c. **<u>परीक्षा केन्द्रों में प्रवेश एवं निर्गमन</u>** –

i. परीक्षा केन्द्रों के समस्त प्रवेश द्वारों पर हाथों की स्वच्छता तथा थर्मल स्क्रीनिंग की अनिवार्य सेवायें उपलब्ध रहे। स्व–घोषण पत्र के तय मानकों की पूर्ति न करने वाले समस्त स्टाफ/परीक्षार्थियों को केन्द्र में प्रवेश हेतु वर्जित किया जाये।
ii. केवल लक्षण रहित स्टाफ तथा परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाये।
iii. सामान्यतः लक्षण रहित छात्र को निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र में परीक्षण किया जाना चाहिए एवं विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा वैकल्पिक तरीकों से अथवा "मेडिकली फिट" होने के बाद पृथक से परीक्षा के आयोजन हेतु व्यवस्था करनी चाहिए परन्तु यदि लक्षण युक्त छात्र द्वारा परीक्षा देने पर जोर दिया जाता है तो, पृथक आईसोलेशन कक्ष में परीक्षा लेने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। इस संबंध में परीक्षा संचालक प्राधिकर्ताओं द्वारा स्थापित एवं उल्लेखित नीति अनुसार अनुमति दी जाये।
iv. समस्त स्टाफ तथा छात्रों को फेस कवर/मास्क का उपयोग करने पर ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जाये तथा केन्द्र के अन्दर पूरे समय मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाये।
v. स्टाफ तथा परिक्षार्थियों के आवाजाही एवं भीड़ नियंत्रण हेतु परीक्षा केन्द्र में पर्याप्त प्रवेश एवं निर्गमन द्वार चिन्हित की जाये।
vi. प्रवेश द्वार पर एवं केन्द्र के भीतर कतार लगाने के लिए न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी निर्धारित की जाये। इस हेतु निर्दिष्ट स्थानों पर चॉक/चूना का उपयोग कर चिन्ह बनाये जाये ताकि कतार प्रबंधन सुनिश्चित हो।
vii. परीक्षा केन्द्र परिसर के पार्किंग स्थल/प्रतिक्षा स्थल आदि में भीड़ नियंत्रण एवं शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये।
viii. परीक्षा केन्द्र में बैग तथा मोबाईल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाये।
ix. दस्तावेज प्रमाणीकरण तथा उपस्थिति दर्ज कराने हेतु परीक्षार्थियों को रजिस्ट्रेशन कक्ष में बैच बनाकर एवं शारीरिक दूरी बनाये रखते हुए ले जाया जाये जिसके उपरान्त उन्हें आवंटित परीक्षा हॉल में ले जाया जाये।
x. थर्मल स्क्रीनिंग के उपरान्त परीक्षार्थियों की तलाशी की आवश्यकता पड़ने पर स्टाफ द्वारा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क तथा ग्लवस का उपयोग किया जाये। इस हेतु स्टाफ द्वारा हाथों की स्वच्छता का पालन किया जाये एवं हर बार तलाशी के बाद ग्लवस बदला जाये।

g. **कोविड–19 के संदिग्ध अथवा परीक्षा के दौरान लक्षणयुक्त परीक्षार्थियों हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया**

i. बीमार परीक्षार्थी अथवा स्टाफ को अन्य व्यक्तियों से दूर पृथक कक्ष में आईसोलेट किया जाये।

ii. चिकित्सकीय परीक्षण होने तक ऐसे व्यक्ति को आईसोलेशन में रखा जाये एवं व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर का उपयोग किया जाये।

iii. लक्षणयुक्त होने पर भी परीक्षा देने के इच्छूक परीक्षार्थियों को आईसोलेशन कक्ष में परीक्षा देने की अनुमति दी जा सकती है।

iv. परीक्षा के दौरान लक्षण अधिक गंभीर होने अथवा स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने पर निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित की जाये अथवा राज्य/जिला हेल्प लाईन नम्बर पर कॉल किया जाये।

v. जिले के निर्दिष्ट जन स्वास्थ्य प्राधिकारी यथा जिला रैपिड रेस्पॉन्स दल के चिकित्सक (RRTMO) अथवा नामांकित चिकित्सक द्वारा परीक्षार्थी अथवा स्टाफ की जांच की जायेगी एवं जोखिम का आंकलन करने के बाद उपयुक्त प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आये अन्य सभी व्यक्तियों की सूची ली जायेगी।

vi. यदि संदिग्ध परीक्षार्थी/स्टाफ कोविड–19 पॉजीटिव पाया जाता है तो, सम्पूर्ण परिसर का विसंक्रमण किया जायेगा।

यह मानक परिचालन प्रक्रिया संबंधी निर्देश परीक्षाओं के नियोजन एवं संचालन के दौरान अपनाई जाये। विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थाओं/परीक्षा संचालकों/परीक्षा केन्द्रों द्वारा स्थानीय स्थिति के आंकलन एवं आवश्यकता अनुसार भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जारी निर्देशों के पालन हेतु अतिरिक्त उपाय भी अपनाये जा सकते हैं।

(डॉ. संजय गोयल)
आयुक्त स्वास्थ्य,
मध्यप्रदेश

क्रमांक/कोविड–19 नियंत्रण/आई.डी.एस.पी/2020/1529 भोपाल, दिनांक 05/09/2020

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
4. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
5. प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, म.प्र।
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा, म.प्र।
7. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
8. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
9. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
10. समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी, म.प्र।
11. प्रभारी, कोविड–19 नियंत्रण कक्ष, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।

आयुक्त स्वास्थ्य, 05/09/2020
मध्यप्रदेश